गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
देहरादून/पौड़ी।

आदेश पत्रांक/शिविर/15–क/ /4(8)बेसिक मान्यता/2009–10 दिनांक 26 मई 2009

विषय:– अशासकीय जूनियर हाईस्कूल को कक्षा–06 से कक्षा–08 तक "ब" श्रेणी की अस्थाई मान्यता अदेशों का प्रेषण।

महोदय,

निदेशक विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/19449–50/मान्यता/2008–09 दिनांक 24.07.07 एवं शासनादेश संख्या/646/15.06.97(7)/89 दिनांक 13.08.97 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत मान्यता समिति के सदस्यों की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अशासकीय जूनियर हाईस्कूल को कक्षा–06 से कक्षा–08 तक "ब" श्रेणी अस्थाई मान्यता प्रदान की जाती है।

01. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का नवीनीकरण समय–समय पर कराया जाय।
02. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी/अधिकारी नहीं होगा।
03. विद्यालय में नियमानुसार अनुसूचित जाति/जन जाति के बच्चों के लिये स्थान सुरक्षित रखें जाय।
04. विभिन्न कक्षाओं में निर्धारित दरों के अनुकूल शुल्क लिया जाय अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
05. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी।
06. विद्यालय में समस्त निधियों का लेखा–जोखा नियमानुसार रखा जायेगा।
07. विद्यालय में परिषद द्वारा निहित पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जायेगी और न पाठ्यपुस्तकों का उपयोग किया जायेगा।
08. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी।
09. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्थाये उनका पालन करेगी।
10. विभाग से अनुमति प्राप्त किये बिना विद्यालय भवन में कक्षा–01 से कक्षा–05 तक एवं कक्षा–09 तथा कक्षा–10 संचालित न किये जाय।
11. विद्यालय अपने अध्यापकों/कर्मचारियों को वही वेतन आदि देने के लिये जिम्मेदार होगा जो राजकीय विद्यालयों के समान अर्हता वाले अध्यापको/कर्मचारियों को मिल रहा है।
12. अप्रशिक्षित अध्यापकों को तीन वर्ष में प्रशिक्षित कर दिया जाय।
13. विद्यालय में शिक्षा का माध्यम देवनागिरी लिपि हिन्दी होगी। हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढाई जायेगी।
14. विद्यालय से उस क्षेत्र की वर्तमान संस्थाओं के स्तर तथा दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने पाये।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और किसी समय पर यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है, या कोई तथ्य छुपाया गया हो तथा भविष्य ज्ञात होने पर विभाग द्वारा उसकी मान्यता बिना पूर्व सूचना के निरस्त कर दी जायेगी। "ब" श्रेणी के अस्थाई मान्यता दिये जाने वाले विद्यालयों का विवरण निम्नवत् है :–

क0 सं0	विद्यालय का नाम	मान्यता की श्रेणी	जनपद का नाम
01	एस0 एन0 मैमोरियल पब्लिक स्कूल भाऊवाला देहरादून,	"ब" श्रेणी की अस्थाई मान्यता	देहरादून।
02	सपना पब्लिक स्कूल पदमपुर कोटद्वार,	"ब" श्रेणी की अस्थाई मान्यता	पौड़ी।
03	लहन चन्द वोहरा सरस्वती विद्या मन्दिर जूनियर हाईस्कूल राजवाला देहरादून,	"ब" श्रेणी की अस्थाई मान्यता	देहरादून।
04	रेनेसा द्रोण स्कूल डोईवाला देहरादून,	"ब" श्रेणी की अस्थाई मान्यता	देहरादून।

Principal
S.N. Memorial Public School
Bhauwala, Dehra Dun.
Affiliated to C.B.S.E., Delhi
(Affiliation No. 3530383)

भवदीय,

(नरेन्द्र कुमार बहुगुणा)
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
गढवाल मण्डल, पौड़ी।

पृ0 सं0/ शिविर/15–क/ 2748–53 /4(8)बेसिक मान्यता/2009–10 दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
02. जिला शिक्षा अधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
03. अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) देहरादून/पौड़ी।
04. सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/प्रबन्धक।

S N MEMORIAL PUBLIC SCHOOL DEHRADUN CHAIR PERSON

Scanned with CamScanner